

(2025] 5 एस.सी.आर. 842: 2025 आईएनएससी 712

वारिस

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 429-430 वर्ष 2020)

08 मई 2025

[विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता,* न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दे

क्या विचारण न्यायालय को विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता को मामला तैयार करने के लिए उचित समय और अवसर देना चाहिए था और क्या अ.सा.-1 की प्रतिपरीक्षण को उचित समय तक स्थगित करना चाहिए था ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

शीर्ष बिंदु ¹

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 408, 432 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 367, 391 दंड संहिता, 1860 धारा 302, 201, 376(2)(i), 376AB - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012-धारा 5, 6-अभियुक्त-अपीलार्थी पर अपनी सौतेली बेटी पर यौन हमला करने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का आरोप - अ.सा.-1 के परीक्षण की तिथि पर, अभियुक्त-अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे - अभियुक्त-अपीलार्थी ने दलील दी कि वह फीस वहन नहीं कर सकता और अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है - अभियुक्त-अपीलार्थी के अनुरोध पर, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता नियुक्त किया - उसी दिन, विचारण न्यायालय ने अ.सा.-1 के साक्ष्य को अभिलिखित करना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि साक्षी की प्रतिपरीक्षण विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा पूरी की जाए - इसके बाद, अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई - उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि की - शुद्धता:

अभिनिर्धारित: अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को केवल चौथी कक्षा तक शिक्षित दिखाया गया था - इस प्रकार, इस पहलू पर कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी एक अर्ध-साक्षर, देहाती ग्रामीण था - तथ्य यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी एक बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से है, यह भी अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि वह उस अधिवक्ता की फीस भी वहन नहीं कर सकता था जिसे उसने अपने प्रतिरक्षा के लिए

¹ लेखक

नियुक्त किया था, एक ऐसे मामले में जिसमें शुरू से ही मृत्युदंड की संभावना थी- किसी अभियुक्त को सक्षम अनुभवी प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता से वंचित करना निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के समान है - आपराधिक कार्यवाही में एक अप्रमाणित अभियुक्त को अनुभवी विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) द्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार के दायरे में है। - वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय के आदेश पत्र में यह भी संकेत नहीं दिया गया है कि विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता को द.प्र.सं. की धारा 207 के आदेश का पालन करके अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गई थीं या नहीं। - विचारण न्यायालय को विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता को मामला तैयार करने के लिए उचित समय और अवसर देना चाहिए था। मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी को ऐसा अवसर प्रदान करना पूरी तरह से आवश्यक और अनिवार्य था। यह न्यायालय इसके द्वारा धारा 408 भा.ना.सु.सं.(तदनुरूप, धारा 367 द.प्र.सं.) के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है। भा.ना.सु.सं की धारा 432 (तदनुरूपी, धारा 391 द.प्र.सं.) के तहत मामला वापस विचारण न्यायालय, यानी द्वितीय एएसजे और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) को भेज दिया गया है, ताकि मुख्य अभियोजन साक्षी, यानी (अ.सा.-1) से आगे की जांच की जा सके। विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक सहायता प्राप्त प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता को पूरा अभिलेख पहले ही उपलब्ध करा दिया जाए। [पद 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27]

विधिक सहायता प्राधिकरण - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण - विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता - मुख्य सिद्धांत - चर्चा की गई। [अनुच्छेद 16]

साक्षी-साक्षी संरक्षण योजना - साक्षियों को समुचित संरक्षण - निर्देश जारी। [पद 26-29]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

मोहम्मद हुसैन @ जुल्फिकार अली बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) [2012] 1 एससीआर 64: (2012) 2 एससीसी 584; अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2019] 18 एससीआर 1196: (2019) 20 एससीसी 196; अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) 2 एससीसी 381; आत्मा राम बनाम राजस्थान राज्य [2019] 5 एससीआर 714: (2019) 20 एससीसी 481 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

कुंजी शब्दों की सूची

विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता; अर्ध-साक्षर; देहाती ग्रामीण; मृत्युदंड; सक्षम अनुभवी प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता का इनकार; निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करना; नए सिरे से सुनवाई; मौलिक अधिकार; मामले की तैयारी और संचालन के लिए उचित अवसर; गलत मुकदमा; परिहार; साक्षी संरक्षण योजना।

किससे उद्धृत प्रकरण

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या(एँ) 2020 की 429-430

सीआरआरएफसी क्रमांक 1/2019 और सीआरए क्रमांक 1854/2019 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के दिनांक 18.11.2019 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की और से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी की और से अधिवक्ता:

चंदर उदय सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुश्री साक्षी जैन, सुश्री विदुषी शांडिल्य, सुश्री बिद्या मोहंती, सुश्री कात्यायनी सुहृद, अभिषेक कलैयारसन, कौस्तुभ अंशुराज।

प्रत्यर्थी की और से अधिवक्ता :

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, डी.ए.जी., अभिमन्यु सिंह (गा), पशुपति नाथ राजदान, मिर्जा कायेश बेग, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, आस्तिक गुसा, सुश्री आकांक्षा तोमर।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

मेहता, न्यायमूर्ति

1. सुना गया.
2. यहां अपीलार्थी¹ को भारतीय दंड संहिता, 1860² की धारा 302, 201, 376 (2) (i), और 376AB, और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012³ की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन पिपलोदा, जिला रतलाम में पंजीकृत अपराध संख्या 98/2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 की प्राथमिकी के संबंध में एक आरोपी के रूप में पेश किया गया था। आरोपी-अपीलार्थी के खिलाफ अपनी ही सौतेली बेटी 'ए' के साथ यौन उत्पीड़न और

1 इसके बाद, "आरोपी-अपीलकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा

2 इसके बाद, इसे "IPC" कहा जाएगा

3 इसके बाद, इसे "POCSO" कहा जाएगा

फिर उसकी गला घोटकर हत्या करने का आरोप था। इस घटना की मुख्य साक्षी कोई और नहीं, बल्कि पीड़िता की माँ और अभियुक्त-अपीलार्थी की पत्नी, श्रीमती सलमा बी (अ.सा.-1) थीं। अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश⁴ के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया, जहाँ 18 जून, 2018 को विशेष प्रकरण संख्या 3/2018 पंजीकृत हुआ।

1 इसके बाद, "अभियुक्त-अपीलार्थी" के रूप में इंगित किया जाएगा।

2 इसके बाद इसे 'भा.द.सं.' कहा जाएगा।

3 इसके बाद इसे 'पॉक्सो अधिनियम' कहा जाएगा।

4 इसके बाद इसे 'विचारण न्यायालय' इंगित किया जाएगा।

3. मामले को विचारण न्यायालय ने 21 जून, 2018 को आरोप पर बहस के लिए नियत किया था, जिस तारीख को आरोपी-अपीलार्थी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित हुए और उनकी ओर से दलील देने से इनकार कर दिया। इस पर, आरोपी-अपीलार्थी ने अनुरोध किया कि उन्हें आरोप पर बहस को संबोधित करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है क्योंकि वह मुकदमे में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करेंगे। इसके बाद मामले को 2 जुलाई, 2018 तक के लिए टाल दिया गया। उस तारीख को, अधिवक्ता श्री मोहम्मद अहमद खान ने आरोपी-अपीलार्थी की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें अपना वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई। उसी दिन, विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलार्थी के खिलाफ भा.द.सं की धारा 376 (2) (एफ), 376 (2) (आई), 376 (2) (एन), 376 एबी, 302 और 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए। अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और मुकदमे की मांग की। विचारण न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तिथि 6 जुलाई, 2018 नियत की।

4. 6 जुलाई, 2018 को अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद अहमद खान उपस्थित हुए। अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षियों से पूछताछ के लिए दो तिथियाँ सुझाईं। पहली तिथि, अर्थात् 16 जुलाई, 2018 को अभियोजन पक्ष की मुख्य साक्षी, अर्थात् श्रीमती सलमा बी (अ.सा.-1) को तलब किया जाना था, जबकि 17 जुलाई, 2018 को दो और साक्षियों को तलब किया जाना था।

5. 16 जुलाई, 2018 को अभियुक्त-अपीलार्थी को जेल से विचारण न्यायालय में पेश किया गया। उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता, यानी अधिवक्ता श्री मोहम्मद अहमद खान, उपस्थित नहीं थे। अभियुक्त-अपीलार्थी ने दलील दी कि वह अपने अधिवक्ता की फीस वहन नहीं कर सकता और इसलिए, स्वयं अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है। उसने विचारण न्यायालय से

⁴ इसके बाद इसे 'विचारण न्यायालय' इंगित किया जाएगा।

विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता की सेवाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी की उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली और अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव को अभियुक्त-अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता नियुक्त किया। उसी दिन, विचारण न्यायाधीश ने मुख्य अभियोजन पक्ष की साक्षी, यानी सलमा बी (अ.सा.-1) के साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की और यह भी सुनिश्चित किया कि विधिक सहायता प्राप्त प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता ने उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण पूरी कर ली है।

6. विचारण न्यायालय ने मुकदमे के समापन पर, 17 दिसंबर, 2018 के फैसले के तहत आरोपी-अपीलार्थी को भा.द.सं की धारा 376 (2) (एफ), 376 (2) (एन), 376 एबी, 302 और 201 और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे नीचे बताई गई शर्तों में सजा सुनाई: -

धारा	सजा सुनाई गई
376 एबी भा.द.सं	मृत्युदंड के साथ 5,000/- रुपये का जुर्माना और चूक होने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास।
302 भा.द.सं	मृत्युदंड के साथ 5,000/- रुपये का जुर्माना और चूक होने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास।
201 भा.द.सं	5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये का जुर्माना।

7. अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील⁵ प्रस्तुत की और विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973⁶ की धारा 366 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर⁷ को निर्देश⁸ प्रेषित किया।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह विशिष्ट दलील दी गई कि उसे प्रतिरक्षा का उचित अवसर नहीं दिया गया क्योंकि उसकी ओर से नियुक्त विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता पूरी तरह से अनुभवहीन थे। इस प्रकार, स्पष्टतः, अभियुक्त-अपीलार्थी ने विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता की योग्यता और क्षमता के संबंध में आपत्ति उठाई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उठाई गई उक्त प्रासंगिक आपत्ति को अधिक महत्व नहीं दिया और दिनांक 18 नवंबर, 2019 के निर्णय द्वारा निर्देश का सकारात्मक उत्तर देते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि हो गई।

5 आपराधिक अपील संख्या 1854/2019.

6 आपराधिक संदर्भ संख्या 1 / 2019.

7 संक्षेप में "द.प्र.सं."

8 इसके बाद इसे 'उच्च न्यायालय' इंगित किया जाएगा

9. व्यथित होकर, अभियुक्त-अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंदर उदय सिंह ने शुरू में ही अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होकर जोरदार और उत्साहपूर्वक आग्रह किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ इस तथ्य के कारण गंभीर रूप से पक्षपात किया गया है कि उसकी ओर से कार्यवाही का संचालन करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा नियुक्त विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता एक अनुभवहीन व्यक्ति थे और इसके अलावा, उक्त अधिवक्ता को संक्षिप्त विवरण तैयार करने और साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय भी नहीं दिया गया था। मुफ्त विधिक सहायता अधिवक्ता को 16 जुलाई, 2018 को नियुक्त किया गया था क्योंकि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की फीस का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की थी। उसी दिन, विचारण न्यायालय ने एक विधिक सहायता प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता को नियुक्त किया और उसे मुख्य अभियोजन पक्ष के साक्षी, यानी श्रीमती सलमा बी (अ.सा. -1) से प्रतिपरीक्षण करने के लिए मजबूर किया, जिनकी गवाही पर अभियोजन मामले का पूरा आधार आधारित है।

11. उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी-अपीलार्थी को विवादित निर्णयों को रद्द करके और मामले को नए सिरे से कार्यवाही के लिए विचारण न्यायालय में वापस भेजकर निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।

12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का विरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कभी भी विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष अवसर या पूर्वाग्रह से वंचित करने का मुद्दा नहीं उठाया। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क पहली बार उठाया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि यदि अभियुक्त-अपीलार्थी को लगता है कि उसे अभियोजन पक्ष के साक्षियों से प्रभावी ढंग से प्रतिपरीक्षण करने के अवसर से वंचित किया गया है, तो वह संबंधित साक्षियों को फिर से बुलाने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 311 द.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दे सकता था। निष्पक्ष सुनवाई के अवसर की कमी की यह अत्यधिक विलंबित दलील अभियोजन पक्ष के मामले को तोड़फोड़ करने और नए सिरे से विचारण की मांग करके साक्षियों को जीतने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है।

13. हमने बार पर प्रस्तुत की गई दलीलों पर गंभीर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

14. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज यह इंगित करते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी को केवल चौथी कक्षा तक शिक्षित दिखाया गया है। अतः इस पहलू पर कोई विवाद नहीं है कि

अभियुक्त-अपिलार्थी अर्धशिक्षित, ग्रामीण व्यक्ति था। यह तथ्य भी अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपिलार्थी अत्यंत निर्धन पृष्ठभूमि से संबंधित है, क्योंकि वह उस अधिवक्ता की फीस भी वहन करने में असमर्थ था जिसे उसने अपनी रक्षा हेतु नियुक्त किया था, ऐसे मामले में जो प्रारंभ से ही मृत्युदंड की संभावना वाला था।

15. इस न्यायालय ने बार-बार यह अवलोकन किया है कि अभियुक्त को सक्षम एवं अनुभवी प्रतिरक्षा अधिवक्ता से वंचित करना निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण से वंचित करने के समान है। यह आशंका और भी गंभीर हो जाती है जब अभियुक्त-अपिलार्थी पर ऐसे अपराधों का अभियोग लगाया जाता है जिनकी दंडनीयता आजीवन कारावास/मृत्युदंड तक है। ऐसे अनेक मामलों की भरमार है जहाँ इस न्यायालय को अभियुक्त को दोषमुक्त करने अथवा कार्यवाही को पुनः परीक्षण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, ताकि अभियुक्त को अनुभवी निःशुल्क विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता प्रदान कर नव परीक्षण किया जा सके। इस संदर्भ में हम लाभप्रद रूप से *मो. हुसैन @ जुल्फिकार आली विरुद्ध राज्य (दिल्ली एन.सी.टी.)*⁹; *अनोखीलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य*¹⁰ तथा *अशोक विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य*¹¹ का उल्लेख कर सकते हैं।

16. इस चरण पर यह अवलोकन किया जाना आवश्यक है कि भारत में विधिक सहायता प्राधिकरणों द्वारा एक सुदृढ़ तंत्र के निर्माण हेतु उल्लेखनीय प्रगति की गई है, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रभावी एवं दक्ष विधिक सहायता सेवाएँ प्रदान की जा सकें। *राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)* इन प्रयासों के अग्रभाग में रहा है और देशभर में जरूरतमंद लोगों तक विधिक सहायता सेवाओं का विस्तार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसको और अधिक सुदृढ़ किया गया है *विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता योजना, 2022* के परिचय द्वारा, जो निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करती है:

- विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ताओं की उपलब्धता एवं पहुँच में वृद्धि;
- अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा प्रभावी एवं दक्ष प्रतिनिधित्व;
- समयोचित एवं सक्रिय मुवक्किल परामर्श;
- विधिक सहायता प्राप्त मामलों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन;
- आपराधिक मामलों में विधिक सहायता कार्य का पेशेवर प्रबंधन;

9 (2012) 2 SCC 584

10 (2019) 20 SCC 196

11 (2025) SCC 381

- संवर्धित उत्तरदायित्व जिसके परिणामस्वरूप विधिक सहायता प्राप्तकर्ताओं को उनके मामलों की प्रगति के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की जा सके;
- विधिक सहायता प्रदाताओं के पक्ष में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

उपर्युक्त सिद्धांतों का क्रियान्वयन आपराधिक मामलों में सभी पात्र व्यक्तियों को गुणात्मक एवं सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इससे विधिक सहायता प्रणाली के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन को विशेषकर आपराधिक मामलों में अधिक पेशेवर ढंग से संचालित करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

17. आपराधिक कार्यवाहियों में किसी अप्रतिनिधित अभियुक्त को अनुभवी विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है तथा यह NALSA द्वारा प्रवर्तित विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप है।

18. यह नकारा नहीं जा सकता है कि एक बार अभियुक्त को विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता प्रदान कर दिया जाता है, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, तो विचारण न्यायालय को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नियुक्त अधिवक्ता को अभियुक्त की ओर से मामले की तैयारी एवं संचालन हेतु यथोचित अवसर प्राप्त हो। ऐसा न करने पर कार्यवाही त्रुटिपूर्ण परीक्षण के रूप में दूषित हो जाएगी। यही इस मामले में हुआ है।

19. अभिलेख से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि प्रारंभ में अभियुक्त-अपिलार्थी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने उसके पक्ष में वकालत करने से इंकार कर दिया। अभियुक्त-अपिलार्थी द्वारा नियुक्त दूसरा अधिवक्ता 16 जुलाई, 2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रमुख अभियोजन साक्षी अर्थात् श्रीमती सलमा बी (अ.सा.-1) को परीक्षण हेतु तलब किया गया था। अभियुक्त-अपिलार्थी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय ने अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव को निःशुल्क विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया ताकि वह अभियुक्त-अपिलार्थी की ओर से परीक्षण का संचालन कर सके। विचारण न्यायालय की आदेश-पत्रिकाएँ स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि विधिक सहायता अधिवक्ता की नियुक्ति 16 जुलाई, 2018 को की गई और उसी दिन न्यायालय ने श्रीमती सलमा बी के संपूर्ण कथन जिसमें उक्त साक्षी प्रति परीक्षण भी दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की। विचारण न्यायालय की आदेश-पत्रिका यह भी इंगित नहीं करती कि अभियोजन द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, उनकी प्रतियाँ विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधिनियमन का पालन करते हुए

प्रदान की गई थीं या नहीं, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023¹² की धारा 230 के समकक्ष है।

20. हमने विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता द्वारा प्रमुख अभियोजन साक्षी अर्थात् श्रीमती. सलमा बी (अ.सा.-1) से किए गए प्रति-परीक्षण का अवलोकन किया है और पाया है कि मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर उक्त साक्षी से लगभग कोई प्रश्न नहीं किया गया। इस प्रकार, जिस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपिलार्थी को निःशुल्क विधिक सहायता अधिवक्ता की सेवाएँ प्रदान कीं और तत्पश्चात् प्रमुख अभियोजन साक्षी श्रीमती. सलमा बी (अ.सा.-1) की गवाही दर्ज करने की कार्यवाही आगे बढ़ाई, उससे अभिलेख पर स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि अत्यधिक शीघ्रता के कारण गंभीर अन्यायपूर्ण हानि हुई है।

21. हम यह शीघ्रता से जोड़ना चाहते हैं कि उक्त विचलन को छोड़कर विचारण न्यायालय ने इस प्रकार के मामले में अपेक्षित उल्लेखनीय सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता के साथ कार्यवाही संचालित की और आरोपपत्र दाखिल होने की तिथि से छह माह के भीतर मामले का परीक्षण पूर्ण कर लिया। तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा किया गया उपर्युक्त विचलन, जो संभवतः अनजाने एवं अनवधानवश हुआ हो, प्रतिरक्षा पक्ष को गंभीर हानि पहुँचाने वाला सिद्ध हुआ है, जिससे हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 408 (समकक्ष, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 432 (समकक्ष, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। सुविधा हेतु, उपर्युक्त प्रावधानों को यहाँ उद्धृत किया जाता है:

“408. आगे की जाँच कराने अथवा अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने की शक्ति —

(1) यदि, जब ऐसी कार्यवाहियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, उच्च न्यायालय यह समझता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता पर प्रभाव डालने वाले किसी बिंदु पर आगे की जाँच की जानी चाहिए या अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण किया जाना चाहिए, तो वह स्वयं ऐसी जाँच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ग्रहण कर सकता है अथवा सत्र न्यायालय को ऐसी जाँच कराने या साक्ष्य ग्रहण करने का निर्देश दे सकता है।”

(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, दोषसिद्ध व्यक्ति को, जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अभिमुक्ति डी जा सकती है।

(3) जब जाँच या साक्ष्य (यदि कोई हो) उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई या नहीं लिया गया है तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित कर के उस न्यायालय को भेजा जाएगा।

12 संक्षेप में "BNSS"

432. अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिये जाने का निर्देश दे सकता है। —

(1) इस अध्याय के आधीन किसी अपील पर विचार करने में, यदि अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है, तो वह अपने कारणों को अभिलेखित करेगा और एस साक्ष्य या तो स्वयं ऐसा ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा या जब अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय हो, तो सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, लिए जाने का निर्देश दे सकता है।

(2) जब अतिरिक्त साक्ष्य सत्र न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, तो वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित कर के अपील न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसा न्यायाले अपील निपटाने के लिए अग्रसर होगा

(3) अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है।

(4) इस धारा के आधीन साक्ष्य का ग्रहण अध्याय XXIII के प्रावधानों के अधीन होगा, मानो यह एक जाँच हो

22. इस संदर्भ में, हम *आत्मा राम विरुद्ध राजस्थान राज्य*¹³ के इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था:

“22. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अनुसार जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड का आदेश पारित करता है, तो कार्यवाहियाँ उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं और मृत्युदंड का आदेश तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि न की जाए। धारा 367 उच्च न्यायालय को आगे की जाँच कराने अथवा अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद धारा 368 उच्च न्यायालय को प्रदत्त दंड की पुष्टि करने अथवा दोषसिद्धि को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करती है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों में से एक धारा 368(ग) के अंतर्गत है, अर्थात् ‘अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त करना’। विशेष रूप से, अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती देने हेतु कोई ठोस अपील प्रस्तुत किए बिना भी उच्च न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस सीमा तक, अध्याय XXVIII के अंतर्गत जो ‘मृत्युदंड की पुष्टि हेतु प्रस्तुति’ से संबंधित है, वह परीक्षण की निरंतरता में एक कार्यवाही है। ये प्रावधान उच्च न्यायालय को आगे की जाँच कराने अथवा अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने का अधिकार प्रदान करते हैं और उच्च न्यायालय किसी मामले में अभियुक्त को

दोषमुक्त भी कर सकता है। इस अध्याय का क्षेत्राधिकार व्यापक है। अध्याय XXIX संहिता का 'अपीलों' से संबंधित है। धारा 391 अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने या उसके ग्रहण का निदेश देने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 386 अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का विवरण करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शक्ति भी सम्मिलित है कि 'निर्णय और दंड को पलटकर अभियुक्त को दोषमुक्त अथवा मुक्त किया जाए या उसे सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आदेशित किया जाए'। अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ समान रूप से व्यापक हैं। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय संहिता के अध्याय XXVIII और अध्याय XXIX दोनों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। यदि शक्ति इतनी दूर तक जा सकती है कि पूर्ण पुनः परीक्षण का आदेश दिया जाए, तो शक्ति का कम प्रयोग, अर्थात् 12 साक्षियों का नवीन परीक्षण करने का आदेश, साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए आगे के निर्देश, निश्चय ही उच्च न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत था। अतः उच्च न्यायालय की ओर से कोई उल्लंघन अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी वृटि नहीं हुई है।"

23. यह सत्य है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निरंतर प्रतिपादित किया गया है, आपराधिक मामले में पुनः परीक्षण का आदेश सहजता से नहीं दिया जाना चाहिए और केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, इस न्यायालय ने उखा कॉल् विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (1964) 1 SCR 926 : AIR 1963 SC 1531 : (1963) 2 Cri LJ 418] में निम्नलिखित अवलोकन किया था: (AIR पृ. 1537, अनुच्छेद 11)

"11. आपराधिक मामले में पुनः परीक्षण का आदेश केवल अपवादात्मक मामलों में दिया जाता है, और तब तक नहीं दिया जाता जब तक अपीलीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि जिस न्यायालय ने कार्यवाही का परीक्षण किया था, उसके पास परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था अथवा परीक्षण गंभीर अवैधताओं या अनियमितताओं से दूषित था या कार्यवाही की प्रकृति के संबंध में भ्रांति के कारण वास्तविक परीक्षण नहीं हुआ था, अथवा अभियोजक या अभियुक्त ऐसे कारणों से, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, आरोप से संबंधित प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने या देने से रोके गए थे, और न्याय के हित में अपीलीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त समझता है कि अभियुक्त को पुनः परीक्षण में प्रस्तुत किया जाए। पुनः परीक्षण का आदेश अभिलेख से पूर्ववर्ती कार्यवाही को मिटा देता है और अभियुक्त व्यक्ति को एक अन्य परीक्षण के लिए उजागर करता है, जो अभियोजक को पूर्व परीक्षण में प्रकट हुई कमियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। किंतु ऐसा आदेश सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होगा जब यह केवल इस उद्देश्य से दिया गया हो कि अभियोजक वह साक्ष्य प्रस्तुत कर सके जिसे वह प्रस्तुत कर

सकता था किंतु मामले की प्रकृति की अपर्याप्त समझ या अन्य कारणों से प्रस्तुत करने की परवाह नहीं की। हैरीज, सी जे ने रमानलल राठी विरुद्ध राज्य, 1950 SCC OnLine Cal 62 : AIR 1951 Cal 305] (SCC OnLine Cal पेरा 10) में यह कहा था:

‘10. यदि किसी आपराधिक अभियोजन के अंत में साक्ष्य न्यायालय को अभियुक्त के दोष के संबंध में संदेह में छोड़ देता है, तो अभियुक्त निर्दोष के निर्णय का अधिकारी है। पुनः परीक्षण का आदेश तब दिया जा सकता है जब मूल परीक्षण विशेष कारणों से संतोषजनक न रहा हो, उदाहरणार्थ, यदि साक्ष्य को गलत रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो जबकि उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था, या स्वीकार कर लिया गया हो जबकि उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए था, अथवा न्यायालय ने उन साक्षियों को सुनने से इंकार कर दिया हो जिन्हें सुना जाना चाहिए था। किंतु मैंने कभी ऐसा मामला नहीं देखा है जहाँ पुनः परीक्षण का आदेश केवल इस आधार पर दिया गया हो कि अभियोजन ने उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और यह नहीं जानता था कि अपने मामले को कैसे सिद्ध करना है।’

24. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभियोजक को साक्ष्य में विद्यमान दोषों अथवा कमियों को सुधारने या ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने हेतु नहीं था जिसे उसने पूर्व अवसर पर प्रस्तुत करने की परवाह नहीं की थी। 12 साक्षियों की गवाही के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था और उन साक्षियों से प्रति-परीक्षण भी किया गया था। कोई कमी नहीं थी सिवाय इसके कि साक्ष्य अपिलार्थीओं की उपस्थिति में प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रस्तावित उपाय केवल ऐसी कमी को दूर करने हेतु था, न कि अभियोजक को साक्ष्य में दोषों को सुधारने हेतु सक्षम बनाने के लिए।” (विशेष बल दिया गया)

23. उपर्युक्त परिस्थितियों में, हम इस पहलू पर स्पष्ट हैं कि विचारण न्यायालय को विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता को मामले की तैयारी हेतु उचित समय और अवसर देना चाहिए था तथा श्रीमती. सलमा बी (अ.सा.-1) की प्रति-परीक्षण को यथोचित समय तक स्थगित करना चाहिए था, ताकि कार्यवाही में अभियोजन और प्रतिरक्षा दोनों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके और इस प्रकार अभियुक्त-अपिलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह की भावना को दूर किया जा सके।

24. हम आगे यह अनुभव करते हैं कि अभियुक्त-अपिलार्थी को ऐसा अवसर प्रदान करना मामले के न्यायसंगत निर्णय हेतु पूर्णतः आवश्यक और अनिवार्य था।

25. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 408 (समकक्ष, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 432 (समकक्ष, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले को विचारण न्यायालय अर्थात् द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम), जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश को प्रमुख अभियोजन साक्षी श्रीमती. सलमा बी (अ.सा.-1) की आगे की परीक्षा हेतु प्रेषित करते हैं।

26. साक्षी श्रीमती. सलमा बी (अ.सा.-1) को न्यायालय में तलब किया जाएगा और अभियुक्त-अपिलार्थी को उक्त साक्षी से प्रति-परीक्षण करने का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। घटना और साक्षी को पुनः तलब करने के निर्देश के बीच पर्याप्त समयांतराल हो चुका है। अतः यह संभावना प्रबल है कि प्रतिरक्षा पक्ष साक्षी को प्रभावित करने का प्रयास करे अथवा साक्षी की स्मृति दीर्घ समयांतराल के कारण क्षीण हो चुकी हो। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि विचारण न्यायालय तथा जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि साक्षी को 'साक्षी संरक्षण योजना' के अंतर्गत उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। साक्षी को गवाही देने हेतु वरिष्ठ/विशेष लोक अभियोजक द्वारा उचित परामर्श प्रदान किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो अभियुक्त-अपिलार्थी का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक अनुभवी विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा ताकि वह साक्षी से प्रति-परीक्षण कर सके।

27. यदि आवश्यक हो, तो विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण अभिलेख विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता को पर्याप्त पूर्व समय में और कम से कम 15 दिन पूर्व उस तिथि से प्रदान किया जाए जिस दिन साक्षी को आगे की परीक्षा हेतु तलब किया जाना है। अभियोजन पक्ष को, यदि आवश्यक हो, पुनः परीक्षा के माध्यम से साक्षी से अतिरिक्त प्रश्न पूछने का यथोचित अवसर दिया जाएगा।

28. यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त-अपिलार्थी को अपना स्वयं का अधिवक्ता नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी अथवा वह 'प्रोजेक्ट 39A' के अंतर्गत उसकी सहायता कर रहे अधिवक्ता द्वारा भी प्रति-परीक्षण करवा सकता है। यदि मूल विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया है, तो इस न्यायालय की रजिस्ट्री उसे तत्काल विचारण न्यायालय को वापस प्रेषित करेगी।

29. अभियुक्त-अपिलार्थी को जेल से आभासी रूप में कार्यवाही में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि POCSO अधिनियम के अंतर्गत परीक्षणों हेतु प्रदत्त प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाए। विचारण न्यायालय उपर्युक्त शर्तों के अनुसार श्रीमती. सलमा बी (अ.सा.-1) को 11 जून, 2025 को आगे की परीक्षा हेतु तलब करेगा। मूल अभिलेख, साथ ही श्रीमती. सलमा बी (अ.सा.-1) का इस आदेश के अनुपालन में दर्ज अतिरिक्त कथन, कार्यवाही पूर्ण होने पर तत्काल इस न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा।

30. मामले को 17 जुलाई, 2025 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

मामले का परिणाम: मामला सुनवाई हेतु सूचीबद्ध।

(अनुवादक - श्री रविन्द्र गरासिया एवं श्री प्रशांत वर्मा)

अस्वीकरण

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।